



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
 OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
 हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX
 COMMISSIONERATE
 एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बंगलूर
 AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI
 BENGALURU- 560300 080-22001463/64

लोक सूचना सं /PUBLIC NOTICE. NO.13/2020

दिनांक/DATE:03.04.2020

विषय : कोविड 19 की अवधी के समय सुविधा सेवा के तहत आगम बिल में ई मेल द्वारा संशोधन एवं निलम्बन प्रभार्य को अधित्याग करने के लिये अनुरोध के सम्बंध में ।

Subject: Request for Amendments and waiver of Late Fee Charges in the Bills Of Entry through e-mail procedure at facilitation during outbreak of COVID-19- regarding.

सभी आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, सामान्य व्यापार, सीमा शुल्क ब्रोकार्स, संरक्षकों, एयर लाईस एवं अन्य सभी फणधारियों का ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Attention of the Importers, Exporters, General Trade, Customs Brokers, Custodians, Airlines and all other stakeholders is invited to the above cited subject.

2. एन कोविड 19 के खतरा के फलस्वरूप किये गये प्रतिबंध के इस अवसर पर सामूहिक दूरी को सुनिश्चित करने एवं मानवीय भौतिक संपर्क को कम करने के लिए , यह निर्णय लिया गया है कि,आगम बिल दायर करने में हुए निलंबन के कारण ,सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 149 के अधीन संशोधन को अनुरोध करते हुए एवं निलंबन शुल्क प्रभार्य को अधित्यागके करने के लिये (मुख्य आयुक्त का कार्यालय, बंगलुरे अंचल की लोक सूचना 03/2020 के तहत अधित्याग किया जायेगा) , निम्न प्रकार विशिष्टित ई मेल आई डी पर आवेदन कर सकते हैं ।

In order to ensure social distancing and to minimize the physical human contact during the period of restrictions on account of the threat of the nCovid-19,it is decided that the applications requesting for the amendments in terms of the Sec. 149 of the Customs Act 1962and for waiver of late fee(waived vide PN No: 03/2020 of CCO, B'loreCus Zone)on account of the delay in filing bills of entry can be made by sending email to specified official email IDs as follows:

क्र. सं Sl.No	ग्रूप/अनुभाग Group/ Section	ई मेल आई डी / e-mail id
1	1-5	sunil.v89@gov.in
2	5a, 5b,6	anurag.raii@gov.in

3. उपर्युक्त ई मेल आई डी सीमा शुल्क उप/सहायक आयुक्तों का है ।यदि वे अधिकारी अस्थायी रूप में घर से काम कर रहे हैं तो, कार्यालय में काम कर रहे सम्बंधित उप /सहायक अयुक्तों को सूचित कर देंगे। सम्बंधित अधिकारियों ई मेल के तहत प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर तुरंत कार्य करेंगे एवं हार्ड प्रतियों को सम्बंधित ग्रूप में रिकार्ड के रूप में रख लेंगे ।

The above e-mail IDs are of Deputy/Asst. Commissioners of Customs. In case they are temporarily working from home,they will immediately convey to the concerned DC/AC in office. The concerned officers will act upon the requests received through such email and keep the hard copies of the same as record in the respective group.

4. इन सभी ई मेल अनुरोध की एक प्रति व्यापार द्वारा श्री श्री सोयिकथंग ,अपर आयुक्त एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय को उनके ई मेल **soikhanthang.h@gov.in** पर प्रेषित कर सकते हैं, जो वरीयता के रूप में ऐसे अनुरोधों के निपटान पर निगरानी रखेंगे।

A copy of all such email requests shall be endorsed by the Trade to Sri.H.Soikhanthang, Additional Commissioner, Airport & ACC Commissionerate, on email- **soikhanthang.h@gov.in**, who shall monitor the disposal of such requests, on priority.

5. संशोधन के लिए प्राप्त आवेदनों को उचित प्राधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और संगत विधि प्रावाधान एवं निर्धारित कार्यवाही के तहत निर्णय लेंगे। संबन्धित को इस पर लिए गए निर्णय भी मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

The applications for the amendments would be examined by the competent authority and decide the matter as per the relevant provisions of the law and the procedure prescribed. The decision in this regard would also be communicated by return mail to the concerned.

6. अधिकारि और कर्मचारियों के लिये इस लोक सूचना के निर्णयों के आधार पर की जानेवाली कार्रवाई के लिये यह स्थायी आदेश की तरह माना जायेगा।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for Officers.

7. इस मामले के संबंध में कोई भी तकलीफ हो तो, उस विशिष्ट मामले को श्री सोयिकथंग ,अपर आयुक्त को उनके ई मेल **soikhanthang.h@gov.in** /मोबिल-No.8974036131. में स्सोचित कर सकते हैं।

In case of any difficulty, the specific issue may be brought to the notice of Sri.H.Soikhanthang, Additional Commissioner, Airport & ACC Commissionerate, at **Mobile No.8974036131/email- soikhanthang.h@gov.in**.

अशोक

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त / PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं/C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH
के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रति प्रस्तुत/Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क बेंगलूर, बेंगलूर अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन , बेंगलूर / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रति/Copy to:

1. सभी अपर /लय एयर पोर्ट एवं एसीसी आयुक्तासहायक आयुक्त/उप/संयुक्त/
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2. फेडरेशन आफ कर्नाटका, चेंबर ऑफ कामर्स, सं 9996, केंपेगौडा रोड, गॉंधीनगर, बेंगलूर
Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI),
No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
3. बेंगलूर सीमा शुल्क बोकार्स एजेंट संगठन, सं.71, कार्गो विल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूर अंतर्राष्ट्रीय
एयरपोर्ट, देवनहल्ली, बेंगलूर / Bangalore Customs Brokers Agents Association

- 4) बेंगलूरु एयर लाईन्स संगठन / Bangalore Airlines Association, Bengaluru.
- 5) फेडरेशन आफ इंडियनएक्सपोर्ट आरगनाईसेशन, (एफओ.एफ.आई.,) पहला तल, वीसी.टी.आई., भवन, कस्तूरिबा रोड, बेंगलूरु।
Federation of Indian Export Organisation (FIFO), IstFloor, VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
- 6) सभी संरक्षको / All Custodians.
- 7) बेंगलूरु सीमा शुल्क वेब साईट/Bengaluru Customs Website
- 8) सूचना पट्ट /Notice Board
- 9) बेंगलूरु से प्रचलित सभी कोरियर एजेन्सी /
All Courier Agencies Operating at Bengaluru
(कोरियर संगठन द्वारा/ through Courier Association)
- 10) मास्टर फाईल/ Master file.